सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वादपत्र स0 133/2018

शिवराज पुत्र नाथू धोबी निवासी अलाम्बू तहसील केकडी जिला अजमेर

---वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

----प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,राज.काश्तकारी अधिनियम संपठित धारा 136 राज.ले.रे.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय

दिनांक 28.05.2018

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कादेडा में पेश हुई। वादी /प्रतिवादी उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,राज.काश्तकारी अधिनियम संपठित धारा 136 राज.ले रे.एक्ट के तहत मय दस्तावेज पेशकर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम अलाम्बू तहसील केकडी के खाता संख्या 161 किता 02 रकबा 1.22 है. में दर्ज वादी का नाम श्योराज पुत्र नाथू दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त करवाकर शिवराज पुत्र नाथू दर्ज किया जावे।**

हमने वादी का वादपत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पेरोकार सरकार की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार **ग्राम अलाम्बू तहसील केकडी के खाता संख्या 161 किता 02 रकबा 1.22 है. में दर्ज वादी का नाम श्योराज पुत्र नाथू दर्ज है।** वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार **ग्राम अलाम्बू तहसील केकडी के खाता संख्या 161 किता 02 रकबा 1.22 है. में दर्ज वादी का नाम श्योराज पुत्र नाथू** के स्थान पर **शिवराज पुत्र नाथू** किया जाने की प्रस्तुत रिपोर्ट में सिफारिश की है।

हमने वादपत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का फारकिया की रिपोर्ट का अवलोकन किया। **ग्राम अलाम्बू तहसील केकडी के खाता संख्या 161 किता 02 रकबा 1.22 है. में दर्ज वादी का नाम श्योराज पुत्र नाथू** के स्थान पर **शिवराज पुत्र नाथू** का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई आपारधिक वाद या जांच **श्योराज पुत्र नाथू** के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादी **श्योराज पुत्र नाथू** के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी **श्योराज पुत्र नाथू** नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार **केकडी** को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 28.5.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कादेडा में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एंव उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी